



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2011/अग्रहायण 23, 1933

No. 667]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2011/AGRAHAYANA 23, 1933

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2011

**सा.का.नि. 879(अ).—**केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 81 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी (अधिमानी आबंटन) नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी (अधिमानी आबंटन) संशोधन नियम, 2011 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी (अधिमानी आबंटन) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में, खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) ‘अधिमानी आबंटन’ से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उप-धारा (1क) उपबंधों के अनुसरण में शेयरों का आबंटन या कोई अन्य शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखत जिसमें अधिमानी आधार पर शेयरों में संपरिवर्तनीय हाईब्रिड लिखित भी है, अभिप्रेत है :

परंतु उस उप-धारा के अधीन सदस्यों द्वारा पारित संकल्प में आबंटन किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों का नाम, पिता का नाम, पता और उपजीविका को उल्लिखित किया जाएगा :

परंतु यह और कि वे व्यक्ति जिन्हें ऐसा प्रस्ताव किया गया है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 67 की उप-धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसार उनचास से अधिक नहीं होंगे।

- उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4. “विशेष संकल्प—

(1) किसी कम्पनी द्वारा शेयर या कोई अन्य शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखत जिसमें अधिमानी आधार पर शेयरों में संपरिवर्तनीय हाईब्रिड भी हैं, का निर्गमन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह उसके संगम अनुच्छेदों द्वारा प्राधिकृत न हो और जब तक साधारण अधिवेशन में उसके सदस्यों द्वारा निदेशक बोर्ड को ऐसा निर्गमन करने के लिए प्राधिकृत करने वाला विशेष संकल्प पारित न कर दिया गया हो।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विशेष संकल्प पर बारह मास की अवधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी।”

4. उक्त नियम के नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8. प्रतिभूतियों का आमंत्रण और आबंटन—

- (1) कोई भी नया प्रस्ताव या आमंत्रण तब तक नहीं किया जाएगा तब तक कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 60 ख की उप-धारा (9) के निबंधनों के अनुसार पहले किए गए किसी प्रस्ताव या आमंत्रण के संबंध में आबंटन पूर्ण नहीं किया जा चुका हो।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 81 की उप-धारा (1क) के अनुपालन में कोई प्रस्ताव या आमंत्रण लोक प्रस्ताव माना जाएगा और प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के उपबंधों का किया जाएगा।
- (3) प्रतिभूति के अभिदान पर संदेय सभी धन बैंक या मांग ड्राफ्ट या अन्य बैंक चैनल के माध्यम से संदेय किए जाएंगे किंतु नगद में संदाय नहीं किया जाएगा।
- (4) प्रतिभूतियों का कोई आबंटन आवेदन धन के प्राप्त होने से साठ दिन के भीतर कर दिया जाएगा और कम्पनी, उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर प्रतिभूतियों के आबंटन करने में असफल रहने की दशा में उसके पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर आवेदन धन का पुनः संदाय करेगी, जिसमें असफल रहने पर बारह उससे प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित पुनः संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी ;

परंतु ऐसे आवेदनों पर प्राप्त धन पृथक् बैंक खातों में रखे जाएंगे और निम्नलिखित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे।

- (i) प्रतिभूति के आबंटन के विरुद्ध समायोजन के लिए ; या
- (ii) धन के पुनः संदाय के लिए कम्पनी प्रतिभूति का आबंटन करने में असमर्थ है।
- (5) प्रतिभूति प्रस्ताव देने वाली कोई कम्पनी ऐसे प्रस्ताव के बारे में जन साधारण को सूचित करने के लिए कोई लोक विज्ञापन जारी नहीं करेगी अथवा किसी मीडिया, विपणन या वितरण चैनलों या अधिकर्ताओं का उपयोग नहीं करेगी।”

[सं. फा. 2.21/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. सा.का.नि. 922(अ), तारीख 4 दिसम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2011

**G.S.R. 879(E).**—In exercise of the power conferred by sub-section (1A) of Section 81, read with Section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Unlisted Public Companies (Preferential Allotment) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Unlisted Public Companies (Preferential Allotment) Amendment Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Unlisted Public Companies (Preferential Allotment) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules). in rule 3, for clause (1), the following shall be substituted, namely:—

(1) “preferential allotment” means allotment of shares or any other instrument convertible into shares including hybrid instruments convertible into shares on preferential basis made pursuant to the provisions of sub-section (1A) of Section 81 of the Companies Act, 1956 ;

Provided that the name, father's name, address and occupation of persons to whom such allotment is proposed to be made shall be mentioned in the resolution passed by the members under that sub-section :

Provided further that persons to whom such offer is proposed, shall not be more than forty-nine as per the first proviso to sub-section (3) of Section 67 of the Companies Act, 1956 ;”

3. For rule 4 of the said rules, the following shall be substituted, namely :—

**“4. Special Resolution.—**

(1) No issue of Shares or any other instruments convertible into shares including hybrids convertible into shares on a preferential basis can be made by a company unless authorised by its articles of association and unless a special resolution passed by the member in a general meeting authorising the Board of Directors to make such issue.

(2) The special resolution referred to in sub-rule (1) shall be acted upon within a period of twelve months.”.

4. After rule 7 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: —

**“8. Invitation and allotment of securities.-**

(1) No fresh offer or invitation shall be made unless the allotment with respect to any offer or invitation made earlier have been completed in terms of sub-section (9) of Section 60B of the Companies Act, 1956.

(2) Any offer or invitation not in compliance with sub-section (1A) of Section 81 read with sub-section (3) of Section 67 of the said Act, shall be treated as a public offer and the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) shall be complied with.

(3) All monies payable on subscription of securities shall be paid through cheque or demand draft or other banking channels but not by cash.

(4) Any allotment of securities shall be completed within sixty days from the receipt of application money and in case the company is not able to allot the securities within the said period of sixty days, it shall repay the application money within fifteen days thereafter, failing which it will be required to be re-paid with interest at the rate of twelve per cent per annum :

Provided that the monies received on such application shall be kept in a separate bank account and shall not be utilised for any purpose other than—

(i) for adjustment against allotment of securities; or

(ii) for the repayment of monies where the company is unable to allot securities.

(5) No company offering securities shall release any public advertisements or utilise any media, marketing or distribution channels or agents to inform the public at large about such an offer”.

[No. F.2/21/2011-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

**Note.**— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 922(E) dated the 4th December, 2003.